भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3807

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं

3807. श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के समन्वय से कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) सरकार द्वारा महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और क्या उक्त योजनाएं अपेक्षित परिणाम दे रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्वालियर जिले में उक्त योजनाओं की प्रगति क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ): सरकार ग्रामीण महिलाओं सहित महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता आधार पर महिलाओं के मुद्दे का समाधान करने के लिए बहुविध दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तेजी से विकसित और सतत राष्ट्रीय विकास में समान सहभागी बन सकें।

पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश सहित देश में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण के लिए कई पहलें की गई हैं।

समग्र शिक्षा, छात्रवृत्ति स्कीमें, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन आदि जैसी पहल की शुरुआत यह सुनिश्चित करता है कि विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए स्कूल बालिकाओं के अनुकूल हैं और उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं।

भारत सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को कवर करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता शुरू करने के लिए 'प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीडीआई-एसएचए) शुरू किया है।इस स्कीम का उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों, महिलाओं और विकलांगों जैसे समाज के हाशिए वाले वर्गों सहित ग्रामीण आबादी को लक्षित करते हुए डिजिटल खाई को पाटना है।

प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत, सरकार द्वारा विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को बैंकों की सिंगल विन्डो सिस्टम के माध्यम से आसानी से शिक्षा ऋण मिल सके। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को पोर्टल पर शामिल किया गया है।

महिला कामगारों की नियोजनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन भी शुरू किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति समावेशी कौशल विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य बेहतर आर्थिक उत्पादकता के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की भी स्थापना की है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता दोनों के लिए अतिरिक्त अवसंरचनात्मक ढांचे के निर्माण पर जोर दिया गया है; लचीले प्रशिक्षण वितरण तंत्र जैसे मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयां, लचीले अफ्टरनून बैच के साथ-साथ महिलाओं को समायोजित करने के लिए स्थानीय आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण; और सुरक्षित और लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण वातावरण, महिला प्रशिक्षकों का रोजगार, पारिश्रमिक में समानता और शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना।

महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, श्रम संहिताओं में कई सक्षम प्रावधान शामिल किए गए हैं जैसे मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ताकि महिला कार्मिको के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाया जा सके।

महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा 'स्टैंड-अप इंडिया' के तहत दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के आकार के 81% ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह, फ्लेगशिप स्कीम, 'मुद्रा' (या प्रधान मंत्री सूक्ष्म-इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी) स्कीम के तहत, महिलाओं के स्वामित्व वाले और संचालित उद्यमों को दस लाख रुपये तक के 68% ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में से एक के तहत, पीएम जन धन योजना से 27 करोड़ से अधिक महिलाएं अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बैंक खाते खोलने के लिए लाभान्वित हुए है।

उद्यमिता की ओर विशेष ध्यान देते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं स्टार्ट-अप इंडिया के तहत समर्थित देश के बढ़ते स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनें, भारत सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले लघु उद्यमों को बड़ी संख्या में ऋण की सुविधा और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

भारत सरकार महिलाओं/किशोरियों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित करती है जिसमें सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत, लगभग 9.0 करोड़ महिलाएं लगभग 83 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, जो कई नवोन्मेषी और सामाजिक तथा पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रही हैं, साथ ही संपार्श्विक मुक्त ऋण (कोलेटरल फ्री लेस) सहित सरकारी सहायता का लाभ उठा रही हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के तहत यह अनिवार्य है कि इस स्कीम (मनरेगा) के तहत सृजित नौकरियों का कम से कम एक तिहाई महिलाओं को नौकरी दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-एनएएम, कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या क्षतिपूर्ति करने में मदद

कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, रोपण फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं आदि से संबंधित गतिविधियों से निपटने वाली सहकारी समितियों में कार्यरत हैं और शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लगभग 3 करोड़ घरों में से अधिकांश या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त नाम पर हैं। इसने वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक सार्वभौमिक स्कीम है जिसके तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) सहित सेवाओं के लिए पात्र हैं। मजदूरी के आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) कार्यान्वित की है जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में नकद प्रोत्साहन प्रदान करके गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान उचित अभ्यास, देखभाल और संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के माध्यम से लगभग 3.3 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया गया है।

संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। हालांकि, आज पंचायती राज संस्थाओं में 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। सरकार ईडब्ल्यूआर को उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए अम्ब्रेला स्कीम के रूप में एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' कार्यान्वित करता है। 'मिशन शक्ति' में महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए "समर्थ" नामक दो उप-स्कीमें हैं। 'समर्थ' उप-स्कीम के तहत एक नया घटक अर्थात महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब (एचईडब्ल्यू) को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तरों पर महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुविधाजनक बनाना है ताकि एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम हों। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब के तहत दी जाने वाली

सहायता के अंतर्गत देश भर में जिला/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, कामगारों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता सहित उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध व्यवस्थाओं में महिलाओं का मार्गदर्शन करने, उन्हें जोड़ने और उनकी सहायता करने का प्रावधान है।

******